

## सप्तदश

## बिहार विधान सभा

$$
\begin{gathered}
\text { एकादश सत्र } \\
\text { अल्पसूचित प्रश्न } \\
\text { वर्ग-2 } \\
\text { मंगलवार, तिथि } \frac{08 \text { फाल्गुन, } 1945 \text { ( श०) }}{27 \text { फरवरी, } 2024 \text { (ई०) }}
\end{gathered}
$$

प्रश्नों की कुल संख्या 06
(1) शिक्षा विभाग - - 03
(2) मद्य नियेध, उत्याद एयं निबंघन विभाग. - 01
(3) पयांवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग - . 01
(4) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग - 01
कुल योग - 06

प्रोसाहन राशि का प्रवधान करना
25. शी अजीत शर्मां (शेते संख्या-156 भागलपर)-क्या मंजी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या यह बत सही है कि मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अत्यंत पिछड़े वर्ग के अम्यर्थियों को देश की सभी प्रतियोगी परीक्षओं के लिये प्रेत्साहन राशि का प्राबधन किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार पिछ्ड़ा वर्गा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं सामान्य वर्ग के अप्यर्थियों के लिये भी देश की सभी परीष्षाओं के लिये प्रोत्साहन राशि का प्रावधन करने का विचार रखती है, हों, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नशा मुक्त करने हेतु कार्राई
26. श्री अमोन्द्र प्रताप सिंह (केषेत्र संख्र-194 आरा)--स्थानीय समाचार-पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "झहर तो शहर, अब तो गाँब की गलियाँ मी सुखे नशे की चपेट में" को ध्यान में रखते हुये क्या मंडी, मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृया करेंगे कि --
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सभी शहरों सहित गाँचों में भी जाउन सुगर, स्मैक, हिरोइन इत्यादि नशीले पदार्थों की आपूर्त तस्कों दूरा आसानी से उपलक्य करायी जा रही है, जिसके सेवन से युवाओं के साथ-सीथ उनका परिवार भी तबाह हो रहा है ;
(2) क्या यह बात सही है कि सूबे का प्रशासन नशीले पदार्थां के आपूर्तिकर्ता तक पहुँचने में असफल साबित हो रहा है जिससे तस्करों का मनोकल बढ़ता जा रहा है :
(3) यदि उपर्युक्त खंदों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ राज्य को नशा मुकत करंरने हेतु कार्राई करने का विदार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-(1) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में दिनांक 1 अप्रील, 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है । मद्य नियेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु उत्पाद विभाग द्वारा अवैध सूखा नशा के विरुद्ध लगातार छपानारी अभियान चलाया जा रहा है । राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर चौर्य व्यापारियों के विरुद्ध सखती से कार्रवाई करने हेतु विभाग द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :-

- चेक पोस्ट-पूर्व में 05 (पाँच) समेकित जाँच चौकी स्थापित की गयी थी, जिसें बढ़कर 84 (चौरासी) कर नी गयी है, जहाँ $24 \times 7$ जाँच को जा रही है तथा सीमावर्ती क्षेत्र के चेक पोस्टों से गुजरने वाले वाहनों की जाँच हेतु Hand held Scanner उपलब्ध कराया गया है ।
- नवर्गठित उत्पाद धाना-पूर्व में कुल 36 (छत्तीस) थाने खोले गये थे। आवश्यकना को देखते हुये प्नः : 44 (चौवालीस) अतिरिक्त धानें खोले गये हैं। इस प्रकार मद्ध निघेध नीति का सफल कार्यन्वयन के लिए कुल 80 (अस्सी) उत्पाद थाने कार्यरत हैं ।
- मानव संसाधन-पूर्ष में विभाग में उस्पाद पदाधिकारियों/कर्मियों की संख्या 2,167 (दो हजार एक सौ सड़सठ) थी, मध्ध निषेध नीति का सफल कार्यान्वयन के लिये विभिन्न स्तरों पर 2,250 (दो हजार दो सी पचास) अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है । वर्तमान में कुल स्वीक्त बलों की संख्या 4,417 (चार हजार चार सौ सनइ) हो गई है । इसके अतिरिक्त विभाग में 2,538 (दो हजार पाँच सौ अड़तीस) गृहरक्षक, 443 (चार सौ तेतालीस) सैफ बल, एम०टी०एस० 392 (तीन सौ बानवे) एवं डाया इन्ट्री ऑपरेटर 142 (एक सौ बयालीस) भी रामिल है ।
- उपलब्धि-दिनांक 1 अप्रील, 2016 से दिनांक 8 फरवरी, 2024 तक की अवधि में सूखा नशा के रोक-थाम हेतु उत्पाद छपामारी का फलाफल प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :-

कुल छापामारी - 397
कुल गिरफ्तारी - 440
कुल जब्त गांजा - 15232.6 किलो ग्राम
कुल जन्त चरस - 3.5 किलो ग्राम
कुल जब्त अरीम - 57.2 किलो ग्राम
भांग - 500 ग्राम
कुल जन्त कोडीनयुक्त कफ सिरप - 43.00 लीटर
कफ सिरप - 22 लौटर
फैन्साड़िल कप सिरप - 19490.000 लीटर
उपर्युक्त के अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा भी कार्राई की जाती है।
(2) उपर्युका कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
(3) उपर्युक्त कडडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

## अनुकम्पा पर नियुक्ति कराना

27. श्री संजय सरावयी (लेषेत संख्या-83 दरभंगा)-क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की क्पा करेंगे कि-
(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के ज्ञापांक $7 / \mathrm{H} 0 / 08 / 2020-888$, दिनांक 27 अगस्त, 2021 की कंडिका $5(\mathrm{v})$ के द्वारा 1 जुलाई, 2006 एवं इस तिथि के पश्चात् विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की मृत्यु के बाद यथा विहित पात्रता वाले योम्य अभ्रितों को पंचायत प्रारंभिक/नगर प्रारंभिक शिक्षकों की मूल कोटि में नियुक्ति एवं विभागीय संकल्प संख्या 1128, दिनांक 21 अगस्त, 2020 के तहत । जुलाई, 2006 के पश्चात् प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों की मृत्यु होने के बाद उनके आश्रितों को विद्धालय सहायक/परिचारी में नियुक्ति का प्रावध्नान है ;
(2) क्या यह बात सही है कि अनुकम्पा के लिये वर्णित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताधारी दरमंगा के 28 सहित राज्य के 1100 अध्यर्थियों की अनुकम्पा पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति तथा दरमंगा के 150 सहित पूरे गज्य में अनुकम्पा पर विधालय सहायक/परिचारी के 6 (छ;) हजार मामले नियुक्ति हेतु लम्बित है ;
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खंड (2) में उल्लेखित मामलों में अनुकम्पा पर नियुक्ति करने का वियार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

## वायु प्रदूषण कम करना

28. श्री अमरेद्द प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)-स्थानीय दैनिक में दिनांक 8 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार के छः शहरों की हवा बहुत खराब, दिल्ली की श्रेणी में पटना" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पर्यावरण, का एवं जलवायु परिवर्तन, यह बतलाने की क्पा करेंगे कि-
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के उपरा, राजगीर, पटना सहित अन्य शहरों में हवा बहुत खराब है ;
(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय प्रदूपण नियंत्रण पर्षद के अनुसार पटना का प्रदूकण सूचकांक 329 और दिल्ली का प्रदूषण सूयकांक 394 है जिसमें गाँधी मैदान, राजवंशीनगर, पटना सिटी और दानापुर का क्षेत्र अत्यधिक प्रदूधित है ;
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर र्वीकारात्सक है, तो सरकार पटना जिला सहित राज्य के अन्य जिलों में वायु प्रदूपण को कम करने के लिये कौन-सा उपाय कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । सदस्य सचिव, विहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बिहार के शहरों की वायु गुणवत्ता के प्रति सजग है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा रॉन्य के 23 जिलों में कुल 35 अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्त प्रबोधन केन्द्र की स्थापना की गयी है । इन केन्द्रों के औँकड़ों के आधार पर वायु गुणवत्ता सूवकांक (एयर क्वालिटी इंडेक्स एं $\begin{aligned} & \text { क्यू } 0 आ ई 0) ~ क ी ~ ग ण न ा ~ क ी ~ ज ा त ी ~ ह ै ~ । ~\end{aligned}$

रान्य में विभिन्न जगहों पर स्थापित अनवरत परिवेशीय वाुु गुणवता प्रवोषन केन्द्र से प्राप्त आँकडों के अनुसार नवम्बर, 2023 माह में बहुत खराब श्रेणी (AQi: 301-400) में पटना (14 दिन), आरा (14 दिन), वेगूसराय ( 13 दिन), छपरा ( 17 दिन), कटिहार ( 10 दिन), पूर्णियाँ ( 13 दिन), राजगीर (11 दिन), पाई गईं तथा गंभीर क्रेणी (AQI: 401 से ज्वादा) में बेगूगुसरय ( 3 दिन), पूर्णियाँ (1 दिन) तथा सीवान (1 दिन) पाई गई है । इसके अलावा रान्य के सभी सहरों, जाँँ अनवरत परिवेशीयीय नायु गुणवत्ता प्रबोषत केन्द्र स्थापित है, में अन्य दिनों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब अथवा उससे बेहतर स्थिति पाई गई है । विदित हो कि वादु की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। वायु प्रदूण की स्थिति स्थान विशेय की प्राकृतिक/पौगोलिक दशा एवं मौसम पर निर्भर करती है ।
(2) उत्तर स्वीकारात्मक है । बिहार रखज्य प्रदूकण नियंत्रण पर्षंद द्वारा माह नबस्बर, 2023 के अंगभ से ही वायु प्रदूपणकारो स्थलों (Hotspots) का सघन सर्वेकण करवाया गया। सर्वक्षण में अवन निर्माण, सड़क निर्माण, सड़कों की सफाई, बैचिंग प्लांट, ठौट मिक्स प्लांट इत्यादि द्वारा वायु प्रदूपण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। इन लोगों पर नियमाकुल कार्वाई कर प्रदूपण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिशिचत कराया गया जिसते AQI सता में सुझाई पाया गया ।
(3) राज्य सरकार द्वारा वादु प्रदूषण पर नियंग्रण हेतु किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है:-

1. राज्य में कुल 67 स्थानों पर सी०एनणजी० (कम्र्रेस्ड नेचुरल गैस) आठटलेट की स्थापना की गयी है, जिसमें कुल 22 सी०एन0जी० आउटलेट पटना में स्थापित है । राज्य में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं गेल झंडिया (GAlL, India) आदि संस्थान द्वारा पाईण्ठ नैच्यूलू गैस (Piped Natural Gas) नेटवक्क विछाने का कार्य किया जा रहा है जो प्रगति पर है ।
2. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा अधिसूंचना निर्गत कर वैसे औदोगिक क्षेत्र जहाँ पी०एनणजी०सी०एन०जी० का पाइप लाइन पहुँच गया हो, वैसे औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक इकाइयाँ जो जिवाश्म ईधन का उप्योग करते हैं, को स्वच्धतर ईधन पी०एन०जी०/सी०एन०जी० में परिवर्तित करने का निदेश दिया गया है ।
3. वाहनों से होने वाले उत्लर्जन की रोक-थाम हेतु 15 वर्षों से ज्यादा पुरानी सरकारी हीजल चालित वाहनों का परिचालन परिवहन विभाग द्वारा पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पटना एवं इसके आस-पास के नगर निकाय क्षेत्रों यथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ में 15 चषों से ज्यादा पुरानी व्यावसायिक डीजल चालित वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है । इन क्षेत्रों में डीजल चालित तिपहिया वाहनों का परिचालन भी मार्च, 2022 के पर्चात् प्रतिबंधित कर दिया गया है ।
4. नये इटर-भट्ता को स्वच्छतर तकनीक के बंरोर स्थापनार्थ सहमति (CTENOC) प्रदान नहीं किया जा रहा है ।
5. नगर निकायों द्वारा क्लीन एयर एक्शान प्लान के विधिन्न कार्य-बिंनु (Actionable Point) के तहत्त कार्य कर वायु प्रदूपण को निर्यंत्तित किया जा रहा है ।
6. कृषि अपशिष्टों को जलाने पर हो रहे प्रदूपण की रोक-थाम एवं नियंत्रण के लिए कूषि विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है । कृषि विभाग द्वारा उन किसानों को, जो कुषि अपशिष्ट जलाकर प्रदूषग फैलाते हैं, वैसे कूषक को चिहित कर कृषि विभाग द्वारा दिये जाने वाले कूषि अनुदान से तीन वार्थं के लिए वंचित किया जाता है ।
7. वाइनॉं से होने वाले प्रदूपण की रोक- धाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा Pollution Under Control प्रमाण-पत्र जारी करने वाले केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 1412 किया ग़या है ।
8. भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण स्थलों को ढक कर कार्य करने का निदेश दिया गया है ।
9. खुले में कचरां जलाना प्रतिबंधित किया गया है ।
10. परिवहन विभाग द्वारा 25 इलेक्रूक एवं 70 सी०एन0जो० बसों का परिचालन किया जा रहा है। इस व्यवस्था को परिवहन विभाग द्वारा खुद किया जा रहा है ।
11. इलेक्ट्रीक वाहनों को प्रोत्साहित किया जाना ।
12. भवन निर्माण, सड़क निर्माण, सड़कों की सफाई, बैचिंग ए्लांट, हॉँट मिक्स प्लांट इत्यादि द्वारा वायु प्रदूपण नियंत्रण व्यघस्थाओं का अनुपालन सुनिशितित कराया जाना।

घुनियादी सुविधायें उपलक्य कराना
29. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरणंगा)-स्थानोय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 जनवरी, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक" वि0वि0-कॉलेजों के खातों में पदे़े रहे 2 हजार करोड़, टूटी बँच डेसक पर पद़ते रहे विद्यार्थी" को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, शिका विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविखालयों एवं कॉलेलों में उाों को बुनियादी सुविधा का अभाव है ;
(2) क्या यह बात सही है कि मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्करुुर सहित राज्य के विश्विविध्यालय एवं कॉलेजों के खातों में 2 हजार करोड़ की राशि उपलब्य रहने के बावजूद छातों को टुनियादी सुविधा उपलक्य करने हेतु कोई भी कारवाई नहों की गई ;
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्रर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार खातों में पड़े रुपये का उपयोग कर विणकि एवं कॉलेजों में खुनियादी जरूरतों की पूर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वोकेशनल कोसं के संबंध में
30. जी अजीत शर्मा (हेत्र संख्या-156 भागलपर)-क्या मंती, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की क्पा करेंगे कि-
(1) स्या यह बात सही है कि राज्य के किसी भी विशवविद्यालय में वोकेशनल कोर्स का संकाय नहां है ;
(2) क्या यह बात सही है कि नियमित प्राध्यापक नहीं रहने के कारण वोकेशनल कोस पढ़ने वाले बच्दे विश्वविच्यालयों से वोकेशनल संकाय में Ph.D. (शोध) नहीं कर पा रहे हैं ;
(3) यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो वोकेशनल कोर्स के इस दौर में राज्य के किसी भी विश्वधियालय में वोफेशनल कोर्स का संकाय नहाँ रहने का क्या औचित्य है ?

## पटना :

दिनांक 27 फरवरी, 2024 (品) ।

राज कुमार,
सचिव,
निछार विधान समा।

